न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 56 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. खिंवरे खां पुत्र काने खां
2. अली खां पुत्र काने खां
3. जमाल खां पुत्र अजीज खां
4. मठार खां पुत्र अजीज खां
5. हुरमत बेवा अजीज खां
6. रायधनखां पुत्र इमाम खां
7. अलादीन पुत्र मुरीद खां
8. सुभान खां पुत्र मुरीद खां
9. इंदे खां पुत्र सोयर खां
10. सलीम खां पुत्र सोयर खां
11. साबीर खां पुत्र सोयर खां
12. काली बेवा सोयरखां जातियान मुसलमान निवासीयान मेगवास (बागावास) तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)
13. सलीम खां पुत्र इसाक खां
14. मोहम्मद खां पुत्र मुबीन खां
15. गनी खां पुत्र सफी खां
16. मोहम्मद खां पुत्र सफी खां
17. सरीफ पुत्र हमीर खां जातियान मुसलमान निवासीयान बागावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. लुणे खां पुत्र धीरू खां जाति मुसलमान निवासीयान बागावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. श्रीमान तहसीलदार साहब पचपदरा
3. गाजी खां पुत्र मुबीन खां
4. शेरू खां पुत्र मुबीन खां
5. कमरे खां पुत्र मुबीन खां
6. हैदर खां पुत्र सफी खां
7. लालु खां पुत्र सफी खां
8. भालु खां पुत्र सफी खां
9. सुवटी बेवा सफी खां
10. रमजान पुत्र हमीर खां सभी जातियान मुसलमान निवासीयान बागावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
11. शाखा प्रबन्धक, जे टी जी बी शाखा कल्याणपुर।
12. शाखा प्रबन्धक, एस बी बी जे (वर्तमान एस बी आई) शाखा कल्याणपुर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के बमुकदमा संख्या 124 / 2017(222 / 2017) बअनवान लुणे खां बनाम खिंवरे खां वगैरा निर्णय दिनांक 16.05.2018।

उपस्थिति

1. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
4. अन्य सभी रेस्पोडेंट से अपीलांट ने किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है लिहाजा तलबी आवश्यक नहीं है।

निर्णय

दिनांकः— 28.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 784 रकबा 46.17 बीघा भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवागमन हेतु प्रार्थना–पत्र धारा अन्तर्गत 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। तारीख पेश दिनांक 28.11.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 01 को पत्रावली में विप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना मय नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये मगर रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा उक्त आदेश की कोई पालना नहीं की गई एवं उक्त पत्रावली में अपीलांट संख्या 1 ता. 16 व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता. 12 की उक्त पत्रावली में कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया गया एवं पत्रावली में अपीलांट गण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सुनवाई किये एवं अपीलांटगण की बिना तामिल किये दिनांक 16.05.2018 को रेस्पोडेंट संख्या 01 के प्रार्थना प्रत्र को स्वीकार कर आलोच्य आदेश पारित किया। मौका फर्द एकतरफा बनाई गई है जिसमें पटवारी के अलावा किसी पक्षकार के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं है। अतः उक्त निर्णय कानूनी दृष्टि से अवैध व अयोग्य हैं जो काबिल खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट/विप्रार्थीगण की तामिल भी Proper नहीं है। मौका फर्द एकतरफा बनाई गई है जिसमें पटवारी के अलावा किसी पक्षकार के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रकरण को निस्तारित किया गया हैं जबकि राजस्व लोक अदालत में कोई भी प्रकरण को दोनों पक्षों के रूबरू व दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारित किया जा सकता हैं जबकि अपीलांटगण राजस्व कैम्प में उपस्थित नहीं थे व न ही किसी प्रकार की कोई सहमती जताई गई। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थि। रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलांटगण ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के अलावा किसी भी पक्षकार से अनुतोष नहीं चाहा है। इसलिए अन्य पक्षकारों की तलबी आवश्यक नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण की भूमि में हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारी आये व आदेश की प्रति दी गई तब उस रोज अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की नकल मांगी जिसकी प्रमाणित नकल दिनांक 24.09.2018 को प्राप्त हुई। अपीलांट की अपील नकल मिलने तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रार्थी संख्या 01 लुणे खां ने अपने खेत खसरा संख्या 784 रकबा 46.17 बीघा में आवागमन हेतु ग्राम बागावास के अपीलांटगण के खेत खसरा संख्या 792 रकबा 109.01 बीघा के साथ–साथ खेत खसरा संख्या 781 व 782 के सेढ़ों से होकर रास्ता चाहा। जो संलग्न नक्शा (पृष्ठ A-4/6) में ABCDE तक चाहा गया। पत्रावली के संलग्न पटवारी बागावास की दिनांक 16.05.2018 की मौका फर्द (पृष्ठ A-5/1) के अनुसार "मौके पर प्रार्थीगण के खेत तक पंहुचने के लिए नजदीकी रास्ता खसरा संख्या 784 के खातेदार के खेत में से प्रार्थी द्वारा 18 फुट चौड़े रास्ते की मांग की गई है।" जो कतई सही नहीं है। पटवारी प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों से पूर्णतया वाकिफ नहीं है या फिर मौके पर गया ही नहीं। इस फर्द पर किसी अन्य के हस्ताक्षर भी नहीं है लिहाजा यह संदेहास्पद एवं असत्य है। तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक राजस्व/2018/2035 दिनांक 17.04.2018 मुताबिक प्रकरण (प्र. सं. 124/2018) में ग्राम बागावास के खसरा संख्या 783, 784 में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 792 में प्रस्तावित की गई है जिसका रकबा 0.05 बीघा बनता है जबकि पटवारी की उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते हेतु मांग की गई भूमि का रकबा 01.04 बीघा किस्म बारानी दोयम है, जो अपने आप में विरोधाभासी एवं सुसंगत नहीं है। प्रार्थी के आवेदन में अंकित खसरा संख्या 781 व 782 का इसमें कोई जिक्र नहीं है। न ही इस रास्ते, जो खसरा संख्या 792 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चाहा गया है, (जिसे लाल स्याही में खसरा संख्या 792 में D से E तक प्रमाणित कर निर्णय का भाग माना जाकर पीठासीन अधिकारी ने हस्ताक्षर किये है) की आगे पहुंच को दर्शाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा (पृष्ठ संख्या A 4/6) में D से E व अंत में B तक पहुंच हेतु चाहे रास्ते के लिए निर्णय क्यों नहीं किया, स्पष्ट नहीं है। केवल खसरा संख्या 792 में D से E तक रास्ता दे देने से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में चाहे गये अनुतोष की पूर्ति नहीं होती। न ही चाहे गए सम्पूर्ण रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, उपयोगिता, सांतत्य (Contintity) एवं संयोजनबद्धता (Connectivity) ही होती हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थी द्वारा चाहा गया पूर्ण अनुतोष प्राप्त नहीं होता एवं न ही इस रास्ते की भूमि की उपयोगिता ही सुस्थापित होती है। अंतिम पड़ाव (Destination) तक चाहे गए रास्ते की क्रमबद्ध श्रृंखला नही बनती इसलिए अपीलाधीन निर्णय बिना सोचे समझे औचित्यहीन एवं मांग के अनुरूप नहीं होने के करण उचित नही है। इसे यथावत रखा जाना प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इससे प्रार्थी का मकसद पूर्ण नहीं होता और विप्रार्थीगण को अनावश्यक भूमि की क्षति पहुंचाती है। अतः इन सब तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा बमुकदमा संख्या 124/2017(222/2017) बअनवान लुणे खां बनाम खिंवरे खां वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2018 को अपास्त किया जाता है।

28/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner